उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

व्यापार सुधार कार्य योजना (बीआरएपी) 2019: फीडबैक (प्रतिक्रिया) प्रणाली

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने विश्व बैंक समूह के साथ भागीदारी करते हुए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वयन के लिए व्यापार सुधार कार्य योजना (बीआरएपी)-2019 जारी किया। इस बीआरएपी में 12 सुधार क्षेत्रों में विस्तारित नियामक प्रक्रियाओं, नीतियों, अभ्यास और पद्धतियों में सुधार के लिए 80 सिफारिशें शामिल हैं।

भारत ने व्यापार करने, विदेशी निवेश को आकर्षित करने और देश में नियमों में ढील देते हुए एक अग्रणी राष्ट्र बनने की इच्छा जताई है। इसको ध्यान में रखते हुए और जमीनी स्तर पर सुधारों की प्रभावशीलता के आकलन हेतु बीआरएपी में 2017-18 में प्रतिक्रिया लेना आरंभ किया गया। तद्नंतर, डीपीआईआईटी ने बीआरएपी-2019 के लिए सेवाओं के केवल वास्तविक उपयोगकर्ताओं से प्राप्त फीडबैक के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का मूल्यांकन करने का निर्णय लिया है। अत: 80 सूत्रीय बीआरएपी, 2019 इस प्रकार तैयार की गई है ताकि सभी सुधार बिन्दुओं पर फीडबैक प्राप्त किया जा सके।

बीआरएपी-2019 सुधारों को लागू करने की अंतिम तिथि **31 मार्च, 2019** है। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को उक्त तिथि से पूर्व इन सुधारों को लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, ताकि फीडबैक प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन सेवाओं के प्रयोक्ताओं की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केवल फीडबैक स्कोर के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा। तथापि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से ईओडीबी पोर्टल संबंधी सुधार बिंदुओं के कार्यान्वयन संबंधी प्रमाण प्रस्तुत करने की अपेक्षा है। फीडबैक केवल उन्हीं सुधार बिंदुओं के संबंध में मांगे जाएंगे, जो लागू किए गए हैं तथा जिनके प्रमाण डीपीआईआईटी द्वारा मान्य किए गए हैं। अन्य किन्हीं बिंदुओं पर प्रतिक्रिया नहीं मांगी जाएगी।

बीआरएपी-2017-18 के अंतर्गत अनुमोदित किए गए सुधार बिंदुओं के लिए नए साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि इसी स्थिति को बीआरएपी-2019 के अंतर्गत आगे जारी रखा जाएगा। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में नियामक व्यवस्था में संशोधनों के कारण यदि पुराना साक्ष्य बीआरएपी-2017-18 के अंतर्गत वर्तमान स्थिति को नहीं दर्शाता है, तो मूल्यांकन के लिए नया साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को ध्यान देना चाहिए कि पोर्टल केवल फीडबैक स्कोर को ही प्रदर्शित करेगा, क्योंकि साक्ष्य के आधार पर अंकन नहीं किया जाएगा। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को फीडबैक प्रक्रिया के निष्कर्ष व्यक्तिगत रूप से सूचित किए जाएंगे और उन्हें पोर्टल पर जारी किया जाएगा।

कार्य-पद्धति

1. डीपीआईआईटी सभी 80 सुधार कार्य-बिंदुओं के संबंध में प्रतिक्रियाएं प्राप्त करेगा। उत्तरदाताओं से फीडबैक या तो आमने-सामने अथवा टेलिफोन पर किए गए साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त की जाएंगी।

2. उत्तरदाताओं का चयन निम्नलिखित आधार पर किया जाएगा :

क) सामान्य बिंदुओं के लिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में औद्योगिक संपदा की पहचान औद्योगिक सूचना प्रणाली में से की जाएगी। औद्योगिक संपदा में स्थित औद्योगिक उपक्रमों से प्रतिक्रिया प्राप्त की जाएगी, तदनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा।

ख) उपयोगकर्ता द्वारा विशिष्ट बिंदुओं के लिए ऑनलाइन सिस्टम के उपयोगकर्ताओं की सूची राज्य द्वारा डीपीआईआईटी को भेजी जाएगी। इसके अंतर्गत, कवर किए जाने की **अवधि 1 दिसंबर, 2018 से 31 मार्च, 2019 होगी**, अर्थात उपयोगकर्ताओं ने व्याप्ति अवधि के दौरान सेवा का लाभ अवश्य उठाया हो।

ग) किसी राज्य / केंद्रशासित प्रदेश के लिए एक बिंदु पर प्रतिक्रिया केवल तभी एकत्र की जाएगी जब कार्रवाई सुधार बिंदु (एक्शन रिफॉर्म प्वाइंट) या तो पिछले वर्ष (बीआरएपी 2017-18) या मौजूदा साल के दौरान कार्यान्वित की गई।

घ) राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में, बीआरएपी 2017-18 के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा अर्थात (31 अक्टूबर 2017) के पश्चात सुधार बिंदु लागू किया गया हो वहां सुधार के साक्ष्य का मूल्यांकन डीपीआईआईटी द्वारा किया जाएगा।

ङ) वैसे राज्यों/संघ क्षेत्रों के मामले में जहां 1 दिसंबर, 2018 पश्चात ऐसे कार्रवाई बिंदुओं को कार्यान्वित किया गया है, वहां प्रयोक्ता आंकड़ा आधार (यूजर डेटा बेस) कार्यान्वयन के आरंभ होने की तिथि से **31 मार्च, 2019 तक** होना चाहिए।

च) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों से अनुबध-। में दिए गए प्रारूप के अनुसार **10 अप्रैल, 2019 तक** के प्रयोक्ताओं की सूची प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

छ) जहां इस प्रणाली के लिए प्रयोक्ताओं की संख्या 20 से कम हो वहां से किसी बिंदु पर कोई प्रतिक्रिया नहीं ली जाएगी। ऐसे मामलों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ऐसे सुधार के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा।

ज) डीपीआईआईटी फीडबैक प्राप्त करने के लिए प्रयोक्ता की श्रेणीवार प्रश्नावली तैयार करेगा। फीडबैक साक्षात्कार/संवाद से प्राप्त उत्तरों के आधार पर अंक प्रदान किए जाएंगे। प्रश्नों के अंक निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें दिनांक 11 अक्तूबर, 2018 को ई-मेल द्वारा साझा किए गए व्यापार सुधार कार्य योजना (बीआरएपी) में पहले ही दर्शाया जा चुका है। साथ ही,

i. प्रश्नावली में कुछ अर्हकारी प्रश्न होंगे जिनसे आकलन किया जाएगा कि क्या प्रयोक्ता द्वारा किसी पद्धति का उपयोग किया गया है, अथवा नहीं, यदि इसी प्रश्न का प्रयोक्ता द्वारा नकारात्मक उत्तर दिया जाता है तो सुधार संबंधी अन्य प्रश्न प्रयोक्ता से नहीं पूछे जाएंगे।

ii. प्रश्नावली राज्य /संघ राज्य क्षेत्र के साथ तभी साझा की जाएगी जब परिणाम घोषित हो जाएंगे। इस प्रकिया की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए फीडबैक साक्षात्कार की समाप्ति से पूर्व प्रश्नावली को साझा करने संबंधी किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

iii. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनसे साझा किए गए आंकड़ों की वैधता का सत्यापन करने का परामर्श दिया जाता है। यदि डीपीआईआईटी के डेटा में दिए गए विवरणों के आधार पर किसी प्रयोक्ता तक नहीं पहुंच पाता है तो ऐसे डेटा बिंदु को डेटा सेट में से हटा दिया जाएगा और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तत्पश्चात, उसके स्थानापन्न का चयन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्रदान की गई सूची में से किया जाएगा। यदि ऐसे विघटन से प्रयोक्ताओं की संख्या घटकर 20 से कम रह जाती है, तो सुधार बिंदु का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

iv. यदि डीपीआईआईटी द्वारा संपर्क किए गए किसी प्रयोक्ता से यह सूचना मिलती है कि इसका वास्तविक उपयोग उसके संगठन के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया है अथवा किसी मध्यस्थ द्वारा किया गया है तो डीपीआईआईटी ऐसे वास्तविक प्रयोकताओं तक पहुंचने का यथोचित प्रयास करेगा। तथापि, ऐसे प्रयासों के पश्चात भी वास्तविक प्रयोक्ता से संपर्क नहीं हो पाता तो उस मामले को बिंदु (ज) (iii) में उल्लेखानुसार विचार किया जाएगा।

झ) यदि 70% से कम उत्तरदाताओं ने सूचित किया कि उन्हें कोई विशिष्ट सुधार महसूस नहीं हुआ है, तो इसके लिए कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा।

ञ) यदि 70% या अधिक उत्तरदाताओं ने सूचित किया है कि उन्होंने सुधार महसूस किया है तो इसके लिए उन्हें उस प्रश्न का पूर्ण अंक प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त,

i. जहां किसी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का कोई नियम नहीं है और ऐसे नियम की अनुपस्थिति से उद्योगों के लिए अनुपालन में समय और लागत की कमी आती है तो उस राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश को पूर्ण अंक प्रदान किया जाएगा।

ii. जहां किसी भौगोलिक परिस्थितियों अथवा उसके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण कोई सुधार राज्य/केंद्रशासित प्रदेश पर लागू नहीं होता है तो वहां सुधार लागू नहीं माना जाएगा और मूल्यांकन डिनोमिनेटर से उसका अंक काट लिया जाएगा।

ट) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का कुल स्कोर निम्नलिखित सूत्र द्वारा निर्धारित किया जाएगा :

कार्यान्वयन का प्रतिशत = प्राप्त कुल स्कोर x100/(अधिकतम अंक – एनए अंक)

ठ) डीपीआईआईटी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोई रैंक अंकित नहीं करेगा और उन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत करेगा:

i शीर्ष उपलब्धियां: 95% और अधिक स्कोरिंग के लिए
ii उपलब्धियां: 90% और अधिक लेकिन 95% से कम स्कोरिंग के लिए
iii फास्ट मूवर्स: 80% और अधिक लेकिन 90% से कम स्कोरिंग के लिए
iv एस्पिरर्स: 80% से कम

हालाँकि, डीपीआईआईटी प्रत्येक राज्य / संघ राज्य क्षेत्र और सुधार-वार स्कोर का खुलासा करेगा। प्रत्येक श्रेणी में राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को वर्णानुक्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा।

ङ) बिना विधानमंडल वाले 8 पूर्वोत्तर राज्यों और 5 संघ शासित प्रदेशों का अंतिम वर्गीकरण डीपीआईआईटी द्वारा अलग से किया जाए।

212985/2020/EODB Section

अनुबंध-I

बीआरएपी 2019 के अंतर्गत फीडबैक (**प्रतिक्रिया**) के लिए प्रयोक्ता डाटा साझा करने हेतु प्रारूप

क्र.सं.	सुधार संख्या	उपयोग की गई सेवा	फर्म का नाम	संपर्क व्यक्ति	पदनाम	फोन नंबर	संपर्क का पता	ई-मेल	प्रयुक्त प्रदत्त/ की सेवा तिथि

कृपया आंकड़ें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल समर्थित फॉर्मेट में उपलब्ध कराएं।

अनुबध-।।

इस अनुबंध में प्रतिक्रिया के अंकों का विवरण है जिसके आधार पर बीआरएपी-2019 के अंतर्गत मूल्यांकन किया जाएगा।

उदाहरणस्वरूप, "xx" सुधार बिंदु का कुल निर्धारित अंक 2 है। इस कार्य बिंदु पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए तीन प्रश्न पूछे गए है जिनका निर्देशांक नीचे दी गई तालिकाओं के कॉलम 8 में दर्शाया गया है। प्रत्येक पूछे गए प्रश्न के लिए कोई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को तभी अंकित किया जाएगा जब कम से कम 70 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कॉलम 7 में दर्शाए गए प्रश्नों का सकारात्मक उत्तर दिया हो। अंतिम संगणित स्कोर (कॉलम 9) कॉलम 7 और 8 का गुणनफल है।

कार्य बिंदु "xx" दो राज्यों "ए" और "बी" के लिए स्कोर की गणना की प्रतिदर्श व्याख्या है।

राज्य क:

सुधार कार्य बिंदु (1)	**प्रश्न संख्या (2)**	**कुल प्रतिवादी (3)**	**कुल 'हां' (4)**	**कुल 'ना' (5)**	**हां प्रतिशत (6)= (4)/(3) %**	**स्कोर (7)**	**संभार (8)**	**अंतिम स्कोर (9) = (7)*(8)**
" xx"	1	20	18	2	90.00	1	0.5	0.5
	2	20	15	5	75.00	1	0.5	0.5
	3	20	14	6	70.00	1	1.0	1.0
कुल स्कोर								2.0

राज्य ख :

सुधार कार्य बिंदु (1)	**प्रश्न संख्या (2)**	**कुल प्रतिवादी (3)**	**कुल 'हां' (4)**	**कुल 'ना' (5)**	**हां प्रतिशत (6)=% (4)/(3)**	**स्कोर (7)**	**संभार (8)**	**अंतिम स्कोर (9) = (7)*(8)**
"xx"	1	20	8	12	40.00	0	0.5	0.0
	2	20	18	2	90.00	1	0.5	0.5
	3	20	16	4	80.00	1	1.0	1.0
कुल स्कोर								1.5